रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No D (D)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली शनिवार, सितम्बर 19, 1981/भाद्र 28, 1903

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19, 1981/BHADRA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर 1981

सा० का० नि० 842—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जहां तक वे उन पदों से संबंधित हैं जिनको ये नियम लागू होते हैं संबंधित तत्समय विद्यमान नियमों का उन बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह ग पद) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएं इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) आयोग से कर्मचारी चयन आयोग अभिप्रेत है

(ख) 'नियंत्रण प्राधिकारी' से भारत सरकार के गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग अभिप्रेत है,

(ग) विभागीय अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अवधि के आधार पर से अन्यथा नियुक्त किया गया है और जो —

(i) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट या

(ii) सेवा के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् उसमें सवर्गीकृत और ऐसे सवर्गीकरण की तारीख को अनुसूची 1 में सम्मिलित पद धारण करता है या किसी पद पर धारणाधिकार रखता है।

(घ) "ड्यूटी पद" से कोई ऐसा पद अभिप्रेत है जो चाहे स्थायी है या अस्थायी और जो अनुसूची 1 में सम्मिलित है,

(ङ) 'सरकार' से भारत सरकार अभिप्रेत है

(च) 'श्रेणी' से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है

(छ) अनुसूची' से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है,

(ज) "सेवा" से केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'ग" पद) अभिप्रेत है।

3 केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'ग' पद) का गठन और उसकी संरचना

(1) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग पद) नियम 6 7 और 8 के अधीन इस सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों से मिलकर बनेगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1981

सा० का० नि० 860.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "क") भर्ती नियम, 1963** में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम आकाशवाणी [समूह "क" (भर्ती) चतुर्थ संशोधन] नियम, 1981 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "क") भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में उप निदेशक (प्रशासनिक प्रशिक्षण), कर्मचारी प्रशिक्षण स्कूल (कार्यक्रम) के पद से संबंधित क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	7क	8
"28.	अपर महा-निदेशक	1* (1981)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अलिपिक-वर्गीय।	2500-125/2-2750 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती पद्धति—भर्ती सीधे होगी या स्थानान्तरण द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति की जानी है।	यदि विभागीय, प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन-किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले उप महानिदेशक। टिप्पणी : आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के उप महानिदेशकों पर विचार तब तक किया जायगा जब तक इन दोनों माध्यमों के लिए कार्यक्रम अधिकारी सामान्य रहेंगे।	1. समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के बारे में विचार करने के लिए) : 1. सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष। 2. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य। 3. आकाशवाणी महानिदेशक —सदस्य। 2. समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण के बारे में विचार करने के लिए) : 1. सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष	चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।"

*कार्यभार पर निर्भरता में परिवर्तन के अधीन।

**सा०का०नि० 24, दिनांक 23 दिसम्बर, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचित। बाद में इन नियमों में छप्पन संशोधन अधिसूचित किए गए थे और इस प्रकार फुट नोट में इन सभी संशोधनों के राजपत्र संदर्भ शामिल करना दुर्बह है।

9	10	11	12	13	14
				2. आकाशवाणी महानिदेशक —सदस्य। टिप्पणी : स्थायीकरण से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों को संघ लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। तथापि, यदि इन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके एक सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की दोबारा बैठक की जाएगी।	

[संख्या 12018/1/81-बी (ए)]

आर० बी० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 31st August, 1981

..G.S.R. **860**.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'A') Recruitment Rules, 1963,** namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'A') Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'A') Recruitment Rules, 1963, after serial number 27 relating to the post of Deputy Director (Administrative Training), Staff Training School (Programme) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection Post or non-selection Post	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	7a	8
"28.	Additional Director General.	*1 (1981)	General Central Service Group'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs.2500-125/2-2750.	Selection	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.

*Subject to variation dependent on workload.

**Notified under GSR 24 dated the 23rd December, 1963. Subsequently fifty-six amendments to these rules were notified and, as such it is unwieldy to include the Gazette references of all these amendments in the foot-note.

Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or transfer, grades from which promotion to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
N.A.	Two years.	By promotion.	Promotion : Deputy Directors General with five years' regular service in the grade. Note : Deputy Directors General both in All India Radio and Doordarshan will be considered till the time the programme officers for both these media remain common.	1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : (i) Chairman/Member Union Public Service Commission, —Chairman. (ii) Secretary, Ministry of Information and Broadcasting—Member (iii) Director General, All Indian Radio —Member. 2. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : (i) Secretary, Ministry of Information & Broadcasting —Chairman. (ii) Director General, All India Radio —Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Selection shall be made in consultation with the Union Public Service Commission."

[No. 12018/1/81-B(A)]
R. D. JOSHI, Under Secy.